

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईजलास श्री लहरी कुमार जैन (आर .ए.एस)

मिसल नंबर 552/14

निर्णय दिनांक 12/04/2017

1. छीतरलाल पुत्र शंकरलाल जाति चमार।
2. सियाराम पुत्र शंकरलाल जाति चमार निवासीगण गोपालपुरा तहसील सांगोद वर्तमान तहसील कनवास जिला कोटा।

बनाम

1. कैलाबाई पत्नि धूलीलाल जाति चमार मृतक जयें कायम मुकामान :-
1/1. भरतराज माता कैलाबाई पिता धूलीलाल।
1/2. रामभूर्ति माता कैलाबाई पिता धूलीलाल जाति चमार।
2. प्रेमबाई पत्नि पांचूलाल जाति चमार मृतक जयें कायम मुकामान:-
2/1. मुकेश माता प्रेमबाई पिता पांचूलाल।
2/2. हंसराज माता प्रेमबाई पिता पांचूलाल।
2/3. मोरबाई माता प्रेमबाई पिता पांचूलाल जाति चमार निवासीगण श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. श्रीमती बजरंगीबाई पत्नि लदूरलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम अरलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
4. टीकमचंद पुत्र नंदलाल जाति बैरवा निवासी मकान नंबर 02 केशवच्युरा कोटा नाबालिग जयें संरक्षक पिता नंदलाल जाति बैरवा निवासी केशवपुरा कोटा।
5. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब सांगोद।
6. कैलाशबाई पुत्री मथुरालाल जाति चमार निवासी गोपालपुरा तहसील कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपरिथत :- 1. वादीगण की ओर से श्री ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट, श्री महेश कुमार मालव एडवोकेट।

प्रतिवादी क्रम 03 व 04 की ओर से - एक तरफ

प्रतिवादी क्रम 05 की ओर से परोकार सरकार

अन्य प्रतिवादीगण की ओर से :- श्री महेश कुमार तिवारी एवं श्री अशोक कुमार जैन

निर्णय

दावा दिनांक 15.02.2017 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार कनवास से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार कनवास द्वारा अपने पत्र क्रमांक भूअभि0/17/ 757 दिनांक 12.04.2017 से प्रारम्भिक डिक्री अनुसार प्रस्तावित विभाजन रिपोर्ट प्राप्त हुई, अतः मुताबिक विभाजन रिपोर्ट अनुसार दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता विभाजन निम्न प्रकार है:-

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

1. बजरंगी बाई पत्नि लदूरलाल जाति बैरवा सा. अरलिया	594	0.40	नहरी	8.80	
	595/1 पश्चि	0.23	नहरी	5.06	
खसरा किता 02 की रकबा 0.63 है0, नहरी 13.86					
2. छीतरलाल, शंकरलाल सा0गोपालपुरा	सियाराम जाति पुत्र बैरवा	595 पूर्वी	0.53	नहरी	11.66
खसरा किता 01 की रकबा 0.53 है0, नहरी 11.66					
3. कैलाशबाई पुत्री मथुरालाल जाति बैरवा सा0 जगदीशपुरा	595/2 मध्य	0.10	नहरी	2.20	
	689	0.13	नहरी	2.86	
	687/1	0.30	नहरी	6.60	
खसरा किता 03 की रकबा 0.53 है0, नहरी 11.66					
4. भरतराज पुत्र कैलाबाई जाति सा0जगदीशपुरा	राममूर्ति पुत्री बैरवा	693/1	0.53	नहरी	11.66
किता 01 की रकबा 0.53 है नहरी 11.66					
5. मुकेश, हंसराज, पुत्रान पुत्री प्रेमबाई जाति सा0श्यामपुरा	मोरबाई, बैरवा	693/2	0.53	नहरी	11.66
खसरा किता 01 की रकबा 0.53 है0 नहरी 11.66					
6. चमेलीबाई उर्फ चमेली कोर पत्नि विजेन्द्र सिंह जाति गंवारिया निवासी खटीकों का मोहल्ला पुरानी पुलिस चौकी के पीछे कोटडी कोटा	963 पूर्वी	1.08	नहरी	23.76	
	687 पूर्वी	0.41 है0	नहरी	9.02	
किता 02 की रकबा 1.49 है0 नहरी 9.02					

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/04/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय बइजलास लहरी कुमार जैन R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
कनवास जिला कोटा (राज.)

1. छीतरलाल पुत्र शंकरलाल जाति चमार।
2. सियाराम पुत्र शंकरलाल जाति चमार निवासीगण गोपालपुरा तहसील सांगोद वर्तमान तहसील कनवास जिला कोटा।

बनाम

3. कैलाबाई पत्नि धूलीलाल जाति चमार मृतक जयें कायम मुकामान :-
 - 1/1. भरतराज माता कैलाबाई पिता धूलीलाल।
 - 1/2. राममूर्ति माता कैलाबाई पिता धूलीलाल जाति चमार।
4. प्रेमबाई पत्नि पांचूलाल जाति चमार मृतक जयें कायम मुकामान:-
 - 2/1. मुकेश माता प्रेमबाई पिता पांचूलाल।
 - 2/2. हंसराज माता प्रेमबाई पिता पांचूलाल।
 - 2/3. मोरबाई माता प्रेमबाई पिता पांचूलाल जाति चमार निवासीगण श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।
5. श्रीमती बजरंगीबाई पत्नि लटूरलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम अरलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
6. टीकमचंद पुत्र नंदलाल जाति बैरवा निवासी मकान नंबर 02 केशवपुरा कोटा नाबालिग जयें संरक्षक पिता नंदलाल जाति बैरवा निवासी केशवपुरा कोटा।
7. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब सांगोद।
8. कैलाशबाई पुत्री मथुरालाल जाति चमार निवासी गोपालपुरा तहसील कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

मुकदमा नं 552/14 सन 2014 निर्णय दिनांक 19/04/2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी गण की ओर से एडवाकेट श्री ओमप्रकाश शर्मा, एडवाकेट श्री महेश कुमार मालव मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण 01, 02, 06 की ओर से एडवाकेट श्री महेश कुमार तिवारी एवं श्री अशोक कुमार जैन मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है भूमि का खाता विभाजन निम्न प्रकार है:-

1. बजरंगी बाई पत्नि लटूरलाल जाति बैरवा सा. अरलिया	594	0.40	नहरी	8.80
	595/1 पशि	0.23	नहरी	5.06
खसरा किता 02 की रकबा 0.63 है0, नहरी				13.86

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

	छीतरलाल, शंकरलाल सा0गोपालपुरा	सियाराम जाति	पुत्र बैरवा	595 पूर्वी	0.53	नहरी	11.66
	खसरा किता 01 की रकबा 0.53 है0, नहरी 11.66						
3	कैलाशबाई पुत्री बैरवा सा0 जगदीशपुरा	मथुरालाल जाति		595/2 मध्य	0.10	नहरी	2.20
				689	0.13	नहरी	2.86
				687/1	0.30	नहरी	6.60
	खसरा कित 03 की रकबा 0.53 है0, नहरी 11.66						
4	भरतराज पुत्र कैलाबाई सा0जगदीशपुरा	राममूर्ति जाति	पुत्री बैरवा	693/1	0.53	नहरी	11.66
	किता 01 की रकबा 0.53 है नहरी 11.66						
5	मुकेश, हंसराज, पुत्री प्रेमबाई सा0श्यामपुरा	पुत्रान मोरबाई, जाति बैरवा		693/2	0.53	नहरी	11.66
	खसरा किता 01 की रकबा 0.53 है0 नहरी 11.66						
6	चमेलीबाई उर्फ चमेली कोर पत्नि विजेन्द्र सिंह जाति गंवारिया निवासी खटीकों का मोहल्ला पुरानी पुलिस चौकी के पीछे कोटडी कोटा			963 पूर्वी	1.08	नहरी	23.76
				687 पूर्वी	0.41 है0	नहरी	9.02
	किता 02 की रकबा 1.49 है0 नहरी 9.02						

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी जाती है। ...नीज, ... X ...मुबलिंग ... X ...बाबत ... X ...खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ...को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.04.2017 को जारी की गई

मोहर

लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

मुदई	रुपया	पै.	मुदायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कगिश्नर		
फीस कगिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिफ		
मुतफरिफ			गीजान		
गीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी कनवास